


श्रीमती सम्पत्ति देवी विजयवर्गीय राजसेवक परिषद सर्वजन हितकारी स्थाई कोष न्यास, जयपुर

आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र



आदरणीय अध्यक्ष/मंत्री महोदय

1-नाम -----आयु-----

2-पति/पिता का नाम -----

3-व्यवसाय: -----

(प्राइवेट/राजकीय सेवा/
अर्द्ध सरकारी संस्थान सेवा)

4-अगर प्राइवेट राजकीय सेवा में रहते -----

या सेवारत हो तो पेंशन की राशि

5-पूर्ण स्थाई पता -----

6-फोन नं0 (मोबाईल) -----

7-असहाय से संबंधित पुत्र/पुत्री

क्र०सं०	नाम	संबंध	आयु

8-पुत्रों का व्यवसाय/कार्य

क्र०सं०	नाम	व्यवसाय/कार्य	वार्षिक आय

09—न्यास के अतिरिक्त अन्यत्र से भी क्या कोई _____
सहायता मिल रही है। _____

यदि हाँ तो कितनी और कहां से _____

10—आवेदक का बैंक खाता विवरण: बैंक का नाम _____
शाखा _____

11—आवेदक के पास आजीविका का _____
साधन यदि कोई को तो विवरण लिखे _____

12—मेरे द्वारा नियम व शर्तें पूर्णरूप से पढकर समझ ली है तथा मैं इनकी पालना हेतु सहमत हूँ।

कृपया स्वीकृति देकर अनुग्रहित कीजिये।

दिनांक

प्रार्थी

हस्ताक्षर

नाम _____

कमांक

दिनांक

प्रादेशिक/स्थानीय संगठन द्वारा अभिशंसा

मैं _____ पद _____ प्रादेशिक/स्थानीय संगठन _____

_____ तहसील _____ जिला _____ राज्य _____

प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरे स्वज्ञान से सत्य है, तथा प्रार्थी _____
_____ सहायता की अधिकारी है।

हस्ताक्षर

पद _____

दिनांक

पता _____

दूरभाष नं0 (मोबाईल) _____

विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद, जयपुर द्वारा अभिशंसा

मैंने _____पद_____, उपरोक्त आवेदन पत्र का निरीक्षण कर लिया है।
प्रार्थी_____सहायता पाने के अधिकारी है/ नहीं है

हस्ताक्षर

क्रमांक

दिनांक

न्यास का निर्णय

प्रार्थी_____को _____रूपये _____अवधि हेतु सहायता राशि
प्रतिमाह स्वीकार/अस्वीकार की जाती है।

दिनांक

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

स्थाई सदस्य(नाम सहित)

स्थाई सदस्य(नाम सहित)

श्रीमती सम्पत्ति देवी विजयवर्गीय राजसेवक परिषद सर्वजन हितकारी स्थाई कोष न्यास, जयपुर

कार्यालय आदेश

न्यास के निर्णय के अनुसार प्रार्थी_____को दिनांक _____से प्रतिमाह राशि
_____अक्षरे_____दिये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति चैक द्वारा दी जाती है।

अध्यक्ष

विजयवर्गीय (वैश्य) राज सेवक परिषद, जयपुर

नोट:-

1-इस आवेदन पत्र को दो व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित कराना अनिवार्य होगा। इसे प्रमाणित करने का अधिकार-

क- राजसेवक परिषद कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारी, सदस्य

ख- इस न्यास के सभी सदस्य

ग- विभिन्न स्थानीय संगठनों के अध्यक्ष, मंत्री

घ- प्रादेशिक संगठनों के अध्यक्ष, मंत्री।

- 2—यह सहायता एक मुश्त अथवा तीन वर्ष के लिये दी जावेगी। तीन वर्ष पश्चात सहायता स्वतः बन्द कर दी जावेगी।
- 3—सहायता प्राप्त आवेदक के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होने पर उसकी जाँच पश्चात अगर शिकायत सही पाई जाती है तो आवेदक की सहायता निरस्त करने का पूर्ण अधिकार समिति की पास सुरक्षित होगा।
- 4—आवेदन पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र एवं वर्तमान निवास का प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- 5—सहायता राशि का भुगतान जरिये अकाउन्ट पेई चैक द्वारा ही किया जावेगा।